संख्या-24/2021/।/87398/2021/71-4099/82/2021-4-

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र 0शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
ग्रेटर नोएडा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 10 अगस्त, 2021

विषय-: वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0आई0एम0एस0/2021 दिनांक 01-06-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-14-राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान , ग्रेटर नोएडा में प्राविधानित धनराशि रू0 10.00 करोड़ के सापेक्ष राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा में (उल्लिखित तालिका में वर्णित) निर्माण कार्यो हेतु मूल्यांकन समिति द्वारा 04 परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत रू0 278.38 लाख की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 139.19 लाख की वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-:

;धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं 0	परियोजना का नाम	परियोजना की स्वीकृत लागत	मूल लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में वित्तीय स्वीकृत का प्रस्ताव
1	संस्थान परिसर में आकस्मिक प्रवेश द्वार के आगे एम 0 एस 0 रोड पालिकाबोंनाइट सीट के साथ कैनोपी का निर्माण कार्य	72.63	36.315
2	संस्थान परिसर के चाहरदीवारी की ऊँचाई बढाने का कार्य	53.52	26.76
3	संस्थान के अस्पताल में स्थित शवगृह में 6 नये कमरों का निर्माण कार्य	24.66	12.33
4	संस्थान के आकस्मिक विभाग के सामने गौतमबद्ध विश् वविद्यालय के चाहरदीवारी पर गेट स्थापति करने एवं विश्वविद्यालय की सडक से गेट को जोडने वाली सडक का निर्माण कार्य	127.57	63.785
कुल योग		278.38	139.19

1. एकमुश्त व्यवस्था के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 22.03.2021 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च , 2021 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
3. प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता , मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक , संस्थान की होगा।
5. प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
6. वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
7. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है , उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) रोकने के दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत ना तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
9. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
10. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
11. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
12. कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जाएगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाय।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03- चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-14-राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा-24 वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जाएगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-889/दस-2021-2022, दिनांक 09 अगस्त, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ ।
4. वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा ।
5. संयुक्त सचिव, नोडल अधिकारी (बजट), चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।
8. प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबंधक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ/ग्रेटर नोएडा ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in